न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या/2016/02

गोपीराम पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति–कुम्हार (कुमावत) निवासी–ढाणी लोहरवाडा, तन बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. लालाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति कुम्हार (कुमावत) निवासी–ढाणी लोहरवाडा, तन बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती विनोदी देवी पत्नि सत्यनारायण शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 22/12/2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पेश किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व की कृषि भूमि ढाणी लोहरवाडा तन बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का सगा भाई है जो कृषि कार्य नही करता अपितु प्रार्थी ही करता है। खाता संख्या 201 गत 196 के खसरा नंबर 5220 रकबा 0.23 हैक्टीयर, अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी एवं स्वामित्व व कब्जेकाश्त ही है जिसमें वादिया ने मिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से ख[illegible] था शेष खसरा नंबर 7638/8176 रकबा 0.64 [illegible] 7672 रकबा 0.64 हैक्टीयर कुल कित[illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जि[illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपने–अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर मनबंट से विभाजन कर कदीम से काबिजकाश्त चले आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त वादग्रस्त भूमि के सह–खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व कोई हक–संबंधी इस्तदुआ नहीं चाही गयी है लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि को अपने हक–हिस्से अनुसार मनबंट से काश्त करते आ रहे है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावें में आ गया है। जिससे उसके मन में बदनीयति आ गयी है। वह उक्त वादग्रस्त भूमि को कुछ अजनबी लोगों को लाकर दिखाता है तथा जमीन बेचान करने की बाते भी करता है। प्रार्थी के मना करने पर मिन प्रार्थी को धमकी देता है कि वो अपनी इच्छानुसार भूमि का बेचान करेगा चाहे वह विशिष्ट भू–भाग ही क्यो न हो अर्थात उक्त वादग्रस्त भूमि में मूल्यवान भाग को बेचान करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी के हक अधिकारों का हनन होता है तथा अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रार्थी को काश्त करने से मना करे एवं उसे जबरन बेदखल करें। प्रार्थी कानून को हाथ में नही लेना चाहता अपने हक–हिस्से की भूमि का अलाहदा विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं मौके के अनुसार विभाजन के आधार पर अपना अलग खाता व लगान कायम कराने का अधिकारी है।

दिनांक 02.03.2013 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को काश्त करने से मना करने एवं उपयोग–उपभोग से मना करने पर वादकारण उत्पन्न होकर विरूद्व अप्रार्थीगण दावा तकासमा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द फरमाया जावें कि वादग्रस्त भूमि 7638/8176 रकबा 0.64 हैक्टीयर, 7669 रकबा 0.14 हैक्टीयर, 7672 रकबा 0.64 हैक्टीयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 हैक्टीयर वाकै ग्राम बगरू कलां तहसील [illegible] के हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार [illegible] बेजामजाहमत, जबरन बेदखल न स्वंय करे [illegible] किसी से [illegible] वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठि भू–भाग का बेचान हस्तान्तिरण, [illegible] न स्वयं करे न अन्य किसी से कराये, राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:13:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

हेर–फेर, परिवर्तन, खुर्द–बुर्द न करे ना करावें तथा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का बेचान, रहन, बयरु बक्शीश, हस्तान्तरण न स्वयं करे ना अन्य किसी से करावें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टीआई के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल जमाबंदी खसरा नंबर 956, 957 ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर पेश की जो शामिल पत्रावली है।

टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब टीआई पेश नही करने पर जवाब टीआई का अवसर बंद किया गया। बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्ष सुनी गई।

बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। उक्त वर्णित दस्तावेजात से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा–काश्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण का रहा है। हाल रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे बनता प्रतीत नहीं होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा व रिकॉर्ड दोनो ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से, यदि रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द किया जाता है तो इस स्तर पर तुलनात्मक रूप से असुविधा व अपूरणीय क्षति प्रार्थी की न होकर अप्रार्थीगण की होना सम्भावित है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया [illegible] किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22/12/2021 को [illegible] कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज [illegible] से कम होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:13:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner